राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1312/2024

मुकेश कुमार यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं उप शासन सचिव–द्वितीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर, जिला नीमकाथाना।
4. श्री गजेन्द्र सिंह नेहरा, अतिरिक्त ब्लॉक विकास अधिकारी जरिये अतिरिक्त आयुक्त एवं उप शासन सचिव–द्वितीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.03.2024
आदेश की दिनांक : 04.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर, जिला नीमकाथाना में कार्यरत है। आलोच्य आदेश

दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, सुजानगढ़, चूरू किया गया है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है क्योंकि अपीलार्थी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, जिला नीमकाथाना में कार्यरत है और आलोच्य आदेश में जिला सीकर दर्शाया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी को माह अक्टूबर, 2023 में वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया था और मात्र 4 माह 10 दिवस की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एवं अधिकरण द्वारा भी पूर्व में अनुचित माना गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 06.03.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर, जिला नीमकाथाना में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, सुजानगढ़, चूरू किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है। अपीलार्थी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर में ही कार्यरत है और उसे श्रीमाधोपुर से पंचायत समिति, सुजानगढ़, चूरू स्थानान्तरित किया गया है तथा आदेश दिनांक 09.10.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पंचायत समिति, सुजानगढ़ स्थानान्तरित किया गया था न कि अपीलार्थी को। इस प्रकार अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर लम्बे समय से कार्यरत है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्य हित में प्रशासनिक आधार पर किया गया है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी हैं। जहां तक निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को

अपीलार्थी के स्थान पर समंजित किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य